

2025/596

निर्णय

05-08-2025

फर्द अहकाम

(नियम 15)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ

नरेशकुमार आदि

बनाम

दुलीचंद आदि

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट

प्रकरण संख्या 43 वर्ष 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
29.07.2025	वकील वादीगण द्वारा यह वाद पत्र पेश किया गया। बाद कार्यालय टिप्पणी के वाद वादीगण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सामान्य व रजिस्टर्ड सम्मन से तल्ब किया जाकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 20.08.2025 को पेश हो।	
30/7/2025	<p>वकील प्रतिवादी द्वारा पत्रावली पत्र भिजल पेशी पेश करने पर पत्रावली को पेशी में किया गया। उक्त पत्रावली उपस्थित। प्रतिवादी सं. 1 ने जरिये वकील श्री रोहितनाथ नई उपस्थित डाक्टर इकमल दाय पेश किया। जिसे शामिल फाइल किया गया। पत्रावली वाले जवाब स्टेट डाईटा लफ 01.08.2025 को पेश हो।</p> <p>कुलकर्णी प्रमोद कुमार/PU माहक अवरुण प्रमोद री. ब. वली इकाई 10/11 तारीख 05.08.2025 का पेश हो</p>	<p>इली चंद</p> <p>4-11</p> <p>16</p>
05.8.2025	<p>वकील प्रतिवादी द्वारा पत्रावली पेश की गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली उपस्थित। रिपोर्ट आदि के इस आधार पर वाद वहीं टिकी किया जाता है। पूर्ण विकरण सहित निर्णय अलग के लिखाया जाकर शामिल फाइल किया जावे। पत्रावली अख्त से काम की जाकर काउ तारीख तय करके लफ 05.08.2025 दिनांक 05.08.2025 को पेश हो।</p>	